प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) के दिशानिर्देश

1. योजना

भारत सरकार ने अगस्त 2008 में एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' को आरंभ करने का अनुमोदन दिया था, जिसमें दिनांक 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं नामतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रारोसृका) को एक साथ विलय कर दिया जिससे कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें । प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिचालन में थीं, और इसे 12वीं योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 से आरंभ करते हुए वर्ष 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जा रहा है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशानिक नियंत्रण में एक सांविधित निकाय है, और यह पूरे देश में इस योजना के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण है। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (खा.ग्रा. बोर्ड), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंक करेंगे। योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी, खा.ग्रा.आयोग द्वारा चयनित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों को उनके बैंक खाते में वितरित करने के लिए दी जाएगी। कार्यान्वयी अभिकरण अर्थात् खा.ग्रा.आयोग, खा.ग्रा.बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र योजना के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन, क्षेत्र-विशिष्ट लाभप्रद परियोजनाओं की पहचान और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, प्रारम्भिक समर्थन व लाभार्थियों के मार्गदर्शन हेतु प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों/प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थाओं/स्वयं सहयता समूहों/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों/राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना, आरसेटी/रुडसेटी के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संबंधित निकायों को अपने साथ संबद्ध करेंगे।

2. उद्देश्य

(i) नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ii) व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एकसाथ लाना और जहाँ तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(iii) देश के परंपरागत और संभावित अधिकतर कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।

(iv) कारीगरों की पारिश्रमिक-अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

3. वित्तीय सहायता की प्रमात्रा और प्रकृति

3.1 प्रमंरोसृका योजना के तहत निधियां निम्नलिखित दो प्रमुख शीर्षों के अधीन उपलब्ध होंगीः

1. मार्जिन मनी सब्सिडी

(1) निधियों को वार्षिक बजट आकलनों के अधीन आवंटित किया जाएगा जो कि मार्जिन मनी संवितरण के रूप में नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए होंगे; तथा

(2) मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बजट आकलन के तहत आबंटित निधियों में से, रु.100 करोड़ अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा प्रमंरोसृका इकाइयों के उन्नयन के लिए मार्जिन मनी के रूप में संवितरण हेतु निर्धारित किया जाएगा।

2. बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज

प्रमंरोसृका के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आकलन के अंतर्गत कुल आवंटन का 5% बैकवर्ड एवं फार्वर्ड लिंकेज हेतु निधि के रूप में निर्धारित किया जाएगा तथा इसका उपयोग जागरूकता शिविरों, प्रदर्षनियों, बैंकर्स बैठक, टीए/डीए, प्रचार, ईडीपी, भौतिक सत्यापन, सहवर्ती मूल्यांकन इत्यादि व केवीआईसी द्वारा अन्य अवशिष्ट देयताओं/दायित्वों के लिए किया जाएगा।

3.2 प्रमंरोसृका के अंतर्गत निधीयन के स्तर

(i) नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी	**लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)**	**सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)**	
क्षेत्र (परियोजना / इकाई की		शहरी	ग्रामीण

अवस्थिति)			
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि	5%	25%	35%

नोट:(1) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.25 लाख है।

(2) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.10 लाख है।

(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी त्रृण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी (मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए)	**लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)**	**सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)**
सभी श्रेणी	10%	15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 20%)

नोट: (1) उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना की अधिकतम लागत रु.1.00 करोड़ है। अधिकतम सबसिडी रु.15 लाख होगी (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए रु.20 लाख)।

(2) कुल परियोजना लागत की शेष राशि को बैंकों द्वारा मियादी लोन के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(3) उन्नयन के लिए सेवा/व्यापार क्षेत्र के परियोजना की अधिकतम लागत रु.25.00 लाख है।

4. लाभार्थी के लिए पात्रता की शर्तें

4.1 नए प्रमंरोसृका (इकाइयों) के लिए

(i) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।

(ii) प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रु.5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(iv) केवल प्रमंरोसृका के अंतर्गत संस्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।

(v) स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे के समूहों सहित, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो) भी प्रमंरोसृका के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

(vi) सोसायटी रजिस्ट्री अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएँ।

(vii) उत्पादन सहकारी समितियाँ।

(viii) धर्मार्थ न्यास।

(ix) वर्तमान इकाइयाँ (प्रमंरोयो, ग्रारोसृका या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत) तथा वे इकाइयाँ जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, **पात्र नहीं हैं।**

4 नए प्रमंरोसृका (इकाइयों) के लिए **पात्रता की अन्य शर्तें**

(i) परियोजना लागत में पूँजी व्यय और कार्यशील पूँजी का एक चक्र शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत पूँजी-व्यय रहित परियोजनाएँ, वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं। रु.5 लाख से अधिक लागत वाली जिन परियोजनाओं में कार्यशील पूँजी अपेक्षित नहीं हो, उनके मामले बैंक-शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और दावों को यथास्थिति, क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय के अनुमोदन की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ii) जमीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जा सकेगा। बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, किंतु इस शर्त के अधीन कि परियोजना लागत

में शामिल की जाने वाली, बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत की गणना अधिकतम केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए ही की जाएगी।

(v) ग्रामोद्योगों की निषिद्ध सूची में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित भी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमंरोसूका लागू है। वर्तमान/पुरानी इकाइयाँ पात्र नहीं हैं। (कृपया दिशानिर्देश का परिच्छेद 30 देखें) ।

व्यापार गतिविधियां:

(a) पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित जिलों और अंडमान व निकोबार द्वीपों में बिक्री आउटलेट के रूप में व्यापार/व्यापार गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

(b) पूरे देश में पीएमईजीपी के तहत स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों/व्यापार प्रतिस्ठानों को केवल ऐसे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बेचने की अनुमति होगी जिन्हें केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो और वे पीएमईजीपी/स्फूर्ति इकाइयों में विनिर्मित किए गए हों।

(c) विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित)/सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित खुदरा दुकानों को (देश भर में) अनुमति दी जा सकती है।

(d) उपरोक्त (ए) और (बी) के अनुसार व्यवसाय/व्यापार गतिविधियों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के बराबर) हो सकती है।

(e) किसी राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत, व्यवसाय/व्यापार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा ऊपर (ए), (बी) और (सी) में वर्णित है।

(v) परिवहन गतिविधियां:

परिवहन गतिविधियां जैसे; पर्यटकों या आम जनता के परिवहन के लिए कैब/वैन, नाव/मोटर बोट/शिकारा आदि की खरीद की अनुमति होगी। परिवहन गतिविधियों के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की सीमा पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक प्रभार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिलों, और अंडमान व निकोबार द्वीप, गोवा, पुडुच्चेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, या किसी भी अन्य विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्र, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रभारित की जाएगी।

नोटः

(1) संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/ट्रस्ट जो विशेष रूप से पंजीकृत हैं, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक विकलांग/पूर्व सैनिक, और अल्पसंख्यक संस्थान जिनकी नियमावली में इस हेतु आवश्यक प्रावधानों सम्मिलित हों, विशेष श्रेणी के अंतर्गत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के लिए पात्र हैं। हालांकि, विशेष श्रेणियों से संबंधित संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/ट्रस्ट यदि विशेष श्रेणी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तो वे सामान्य श्रेणी के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) हेतु पात्र होंगे।

(2) एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल हैं।

4.2 मौजूदा प्रमंरोसृका/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए:

(i) प्रमंरोसृका के अंतर्गत मार्जिन मनी के दावे को सफलतापूर्वक समायोजित किया गया हो।

(ii) प्रमंरोसृका/मुद्रा के अधीन प्रथन ऋण को नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक चुकता किया गया हो।

(iii) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ जनित हो तथा तकनीकी के आधुनिकीकरण/उन्नयन के साथ इसमें कारोबार और लाभ की संभावना मौजूद हो।

5. कार्यान्वयी अभिकरण

5.1 यह योजना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 के माध्यम से स्थापित एक सांविधिक निकाय है। खा.ग्रा.आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण होगा। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग बोर्डें और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में यह योजना एकमात्र जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ही कार्यान्वित की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों /राज्य जिला उद्योग केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा। खा.ग्रा॰ आयोग और जिला उद्योग केंद्र प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों, राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के

अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं, आरसेटी/रुडसेटी, आरटीआई और अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करेंगे।

कयर बोर्ड को कयर इकाइयों की पहचान करने में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें प्रमंरोसृका के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए प्रारम्भिक सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

5.2 अन्य अभिकरण

प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन में साथ लिए जाने वाले अन्य अभिकरणों का विवरण निम्नानुसार है :

i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ।

ii) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।

iii) राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र के, संबंधित आयुक्तों/सचिवों (उद्योग) को प्रतिवेदन भेजने वाले जिला उद्योग केंद्र।

iv) कयर बोर्ड

v) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ।

vi) खादी ग्रामोद्योग फेडरेशन।

vii) महिला और बाल विकास विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन, आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसियेशन ऑफ इंडिया और पंचायती राज संस्थाएँ।

viii) लघु कृषि और ग्रामोद्योग संवर्धन एवं तकनीकी परामर्श सेवा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण में परियोजना परामर्श का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठन, जिनके पास अपेक्षित बुनियादी संरचना और राज्य या जिले में ग्राम तथा तालुका स्तर पर पहुँचने के लिए अपेक्षित मानव शक्ति हो। साथ ही, गैर-सरकारी संगठन को राज्य या राष्ट्रीय स्तर के सरकारी अभिकरण ने पिछले 3 वर्ष की अवधि में निधि उपलब्ध कराई हो।

ix) सरकार/विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाएँ/तकनीकी महाविद्यालय, जिनके पास व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए विभाग, या कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम हों, जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण पोलिटेकनिक, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान आदि।

x) खा.ग्रा.आयोग/खा.ग्रा.बोर्ड से सहायता प्राप्त प्रमाणीकृत खादी ग्रामोद्योग संस्थाएँ बशर्ते वे ए+, ए या बी श्रेणी की हों और उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ, मानवशक्ति और विशेषज्ञता हो।

Xi) खा.ग्रा. आयोग/ खाग्रा बोर्ड के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र।

xii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी विकास केंद्र, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियत्रंण में हों।

xiii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) कार्यालय, तकनीकी केंद्र और सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) से स्थापित इन्क्यूबेट और प्रशिक्षण-सह-इन्क्यूबेशन केंद्र (टीआईसी)।

xiv) सू.ल.म.उ. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान, उनकी शाखाएँ और उनकी सहभागी संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी)।

xv) सूलमउ मंत्रालय की राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्र।

xvi) प्रमंरोसृका फेडरेशन, जब भी स्थापित हों।

xvii) आरसेटी/रुडसेटी, आरटीआई।

6. वित्तीय संस्थाएँ

(i) 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक।

(ii) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(iii) प्रधान सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक।

(iv) प्रधान सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

(v) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ।

7. लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन, जिला स्तर पर एक कार्य दल द्वारा किया जाएगा जिसमें खा.ग्रा. आयोग/राज्य खा.ग्रा.बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। कार्य दल के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर होंगे। इस प्रक्रिया में बैंकरों को आरंभ से ही शामिल करना होगा, ताकि आवेदन पत्रों के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचा जा सके। लेकिन जो आवेदक उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम/उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कम-से-कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण या व्यवसायिक प्रशिक्षण (वीटी) प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ईडीपी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आवेदन पत्र सीधे बैंक को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को डीएलटीएफ़सी द्वारा चयन में प्राथमिकता भी दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 (d) के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा “आपदा क्षेत्र” के रूप में घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा/विपदा से ग्रसित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिक राशि की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए परियोजना लागत को बढ़ाकर दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आईबीए ने केवीआईसी के साथ परामर्श करके एक 'स्कोर कार्ड' तैयार किया है जिसका उपयोग सदस्य बैंकों द्वारा प्रमंरोसूका मामलों के लिए किया जा रहा है। इस स्कोर मॉडल को जिला स्तर कार्यदल तथा राज्य/जिला स्तर के अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित किया जाएगा। इसी स्कोर बोर्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. स्कोर कार्ड को खा.ग्रा.आयोग और सू.ल.म.उ. मंत्रालय की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

8. बैंक वित्त

8.1 लाभार्थी/संस्था के सामान्य श्रेणी का होने की स्थिति में, बैंक परियोजना लागत के 90% और विशेष श्रेणी का होने की स्थिति में 95% की दर से वित्तपोषण की मंजूरी देगा, और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रक्रिया से पूरी राशि संवितरित करेगा।

8. 2 बैंक पूँजी व्यय के लिए मियादी ऋण के रूप में और कार्यशील पूँजी के लिए कैश क्रेडिट के रूप में वित्त उपलब्ध कराएगा. बैंक परियोजना का वित्तपोषण सम्मिश्र ऋण के रूप में भी कर सकता है, जिसमें पूँजी व्यय और कार्यशील पूँजी-व्यय भी शामिल होंगे।

8.3 प्रमंरोसृका के अधीन अधिकतम परियोजना लागत रु.25 लाख है, जिसमें पूंजीगत व्ययों तथा कार्यशील पूंजी के सापेक्ष मियादी ऋण शामिल है। सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी घटक को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा कार्यशील पूंजी को 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। तथापि विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम पूंजीगत व्यय रु.25 लाख तक शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में रु.25 लाख से अधिक की कार्यशील पूंजी को सब्सिडी के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा। यह सूक्ष्म उद्यमों के लिए संसद के समक्ष परिभाषा के क्रम में है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा को संशोधित किए जाने हेतु विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुरूप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का तदनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा के प्रावधानों में भी तत्संबंधित अधिनिमय में संसद द्वारा इसके अनुमोदन उपरान्त समाहित किया जाएगा।

8.4 यद्यपि बैंक परियोजना रिपोर्ट में पूँजी व्यय के अनुमानों और मंजूरी के आधार पर मार्जिन राशि (सब्सिडी) का दावा करेंगी किन्तु, केवल वास्तविक उपयोग की गई राशि पर ही अनुमन्य मार्जिन राशि ही रखी जाएगी और परियोजना के उत्पादन के लिए तैयार हो जाने के तुरंत बाद यदि कोई अतिरिक्त राशि बची होगी, तो उसे आयोग को वापस किया जाएगा।

8.5 कार्यशील पूँजी घटक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह कैश-क्रेडिट की 100% सीमा को, मार्जिन राशि की तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि में किसी समय प्राप्त कर ले और वह मंजूर सीमा के 75% से कम न हो, यदि उपयोग पूर्वोत्त सीमा तक नहीं होता तो बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा मार्जिन राशि (सब्सिडी) की आनुपातिक राशि वसूल की जाएगी और उसे तीसरे वर्ष की समाप्ति पर खा.ग्रा आयोग को वापस किया जाएगा।

8.6 ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची

ब्याज सामान्य दर से प्रभारित किया जाएगा। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित आरंभिक स्थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि हो सकती है। यह देखा गया है कि बैंक किसी प्रस्ताव के गुण-दोष पर विचार किए बिना सामान्य तौर पर ऋण गारंटी कवरेज पर जोर देते रहे हैं। इसे निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी को प्रथमिकता देने के लिए आवश्यक मार्ग-निर्देश जारी करेगा। वह इस संबंध में भी उपयुक्त मार्ग-निर्देश जारी करेगा कि किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों को इस योजना के कार्यान्वयन से बाहर रखना है।

9. ग्रामोद्योग

(i) कॅयर-आधारित परियोजनाओं (निषिद्ध सूची में उल्लिखित को छोड़कर) सहित कोई भी उद्योग जिसमे बिजली का उपयोग करते हुए या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता हो या कोई सेवा देता हो और जिसमें प्रति पूर्णकालिक कारीगर या कामगार, अचल पूँजी-निवेश मैदानी क्षेत्रों में रु.1.00 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में रु.1.50 लाख से अधिक नहीं हो, जिसका अर्थ है वर्कशॉप/वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर पर पूँजी व्यय में परियोजना से सृजित पूर्णकालिक रोजगार में भाग देने पर प्राप्त राशि।

नोट: प्रमंरोसृका के अंतर्गत अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में गतिविधियों हेतु प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा को विशेष मामले के रूप में रु.1 लाख से बढ़ाकर रु.1.5 लाख कर दिया गया है।

(ii) **कॅयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)** का कार्यान्वयन कॅयर बोर्ड द्वारा प्रमंरोसृका की पद्धति के अनुसार ही किया जा रहा है। लेकिन सीयूवाई के तहत केवल कॅयर उद्योगों की स्थापना की जा रही है। इसलिए, सीयूवाई को पूरी तरह प्रमंरोसृका में समामेलित किया जाएगा। रु.25 लाख तक की अधिकतम परियोजना लागत के साथ 100 कॅयर इकाइयों के लक्ष्य को प्रमंरोसृका की विभिन्न श्रेणी के लिए 15-35% सब्सिडी अनुमन्य किया गया है जैसा कि उपरोक्त पैरा 3.2 (i) में उल्लिखित है।

कॅयर बोर्ड उचित कॅयर इकाइयों की पहचान करने में केवीआईसी की सहायता करेगा जिससे कि उन्हें प्रमंरोसृका के तहत सहायता प्रदान की जा सके, केवीआईसी प्रमंरोसृका पोर्टल पर कॅयर बोर्ड को इससे संबन्धित पहुँच भी प्रदान करेगा।

10. ग्रामीण क्षेत्र

(i) राज्य/संघ-शासित क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र
चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो।

(ii) इसमें शहर के रूप में वर्गीकृत वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जहाँ की आबादी 20,000 से अधिक नहीं होगी।

11. योजना के अधीन आवेदन और निधियों के प्रवाह की ऑनलाइन प्रक्रिया पद्धति

11.1 अखबारों, विज्ञापनों, रेडियो और अन्य मल्टी-मीडिया के माध्यम से, जिले को आबंटित लक्ष्य के आधार पर विभिन्न समयांतरालों पर खा.ग्रा.आयोग, खा.ग्रा.बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों से परियोजना-प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँगे। योजना को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी प्रचारित/ प्रसारित किया जाएगा, जो लाभार्थियों के चयन में भी सहयोग देंगी ।

11.2 ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होंगे और दिनांक 01.05.2016 से किसी भी मैनुअल आवेदन की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी पोर्टल को विकसित किया गया और संचालित किया जा रहा है। पीएमईजीपी के तहत नए आवेदनों को केवल पीएमईजीपी-पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाएगा।

11.3 व्यक्तियों और संस्थागत आवेदकों के लिए दो अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र होंगे, जो कि पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

11.4 प्रारम्भिक पंजीकरण (आवेदन दाखिल करते समय) के लिए आवेदकों को उनकी स्थिति को ट्रैक करने हेतु उपयोग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। आवेदक को अंतिम सबमिशन पर आवेदन आईडी प्रदान की जाएगी।

11.5 आवेदक के आधार नंबर को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि आवेदन संस्था द्वारा किया जा रहा है तो ऐसे मामले में, अधिकृत व्यक्ति को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो व्यक्ति/उद्यम का पैन कार्ड या संस्था द्वारा परिचालित बैंक खाता संख्या दी जाए ।

11.6 आवेदन जमा करने से पहले इसमें फोटो और दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान होगा जो आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक हैं। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:

ए. जाति प्रमाण पत्र ।

बी. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, जहाँ भी आवश्यक हो।

सी. ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र ।

डी . परियोजना रिपोर्ट ।

ई . शिक्षा / ईडीपी / कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

एफ. संस्थाओं के मामले में निम्नलिखित की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ भी आवश्यक हैं;

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
2. आवेदन करने हेतु प्राधिकार पत्र /मंत्री आदि को प्राधिकृत करने वाले बायलॉज की प्रति ।
3. विशेष श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।

11.7 आवेदन पत्र भरने और पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदक सबमिट बटन पर क्लिक करेगा और अंत में आवेदन सबमिट हो जाएगा । दस्तावेजों और आवेदन पत्र का पूरा सेट को केवीआईसी के जिला प्रतिनिधि, राज्य केवीआईबी के जिला प्रतिनिधि और संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाएगा ।

11.8 आवेदन प्राप्त होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी और डीआई सी के नोडल अधिकारी आवेदक के साथ स्वयं टेलीफोन पर बातचीत करेंगे या व्यक्तिगत बैठक करेंगे और प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की पुष्टि करेंगे। नोडल अधिकारी करेंगे आवेदक के साथ परामर्श/क्रॉस चेकिंग करके आवेदन में सभी आवश्यक सुधार करेंगे और हर चरण में आवेदक को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेंगे। वे ऋण की स्वीकृति के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुरूप ही आवेदन का मूल्यांकन करेंगे। आईबीए द्वारा विकसित स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) तथा सदस्य बैंकों द्वारा पीएमईजीपी हेतु इसके उपयोग के अनुसार लाभार्थी की अभिकरण स्तर तथा डीएलटीएफ़सी के स्तर पर चयन की जाएगी। ऐसे आवेदन जिन्हें 100 में से 60 अंक प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनके स्कोर कार्ड को कारणों के साथ भविष्य में सुधार के लिए आवेदक को भेजा जाएगा। केवल ऐसे आवेदन जिन्हें 60 या इससे अधिक स्कोर प्राप्त होंगे, को डीएलटीएफ़सी के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किया जाएगा। ऐसे आवेदन जो योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं या आवेदक के साथ परामर्श के बाद भी अपूर्ण या अप्रासंगिक हैं उनको संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करते हुए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदक राज्य निदेशक, केवीआईसी के पास ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है।

11.9 प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे-

ए. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त /कलेक्टर	अध्यक्ष
बी. पीडी-डीआरडीए/ईओ-जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
सी. अग्रणी जिला प्रबंधक	सदस्य
डी. खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/डीआईसी के प्रतिनिधि	सदस्य
ई. नेहरू युवा केंद्र/अजा/अजजा निगम के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
एफ़. सू.ल.म.उ.विकास संस्था/आईटीआई, पॉलिटेकनिक का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
जी. पंचायतों के प्रतिनिधि	तीन सदस्य

(जिनका नामांकन अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर द्वारा बारी-बारी से किया जाएगा.)

एच. आरसेटी/रुडसेटी के निदेशक	सदस्य
आई. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक	सदस्य संयोजक

जिला स्तरीय अभिकरण (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी) प्रारम्भिक जांच के उपरांत अंतिम तौर पर सुधारे गए आवेदनों को डीएलटीएफ़सी के साथ साथ आवेदक द्वारा चुने गए उन वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों को तथा अग्रणी बैंको के प्रबन्धकों (एलबीएम) को अग्रेषित करेंगे।

11.10 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) जिला स्तरीय कार्यबल समिति के संयोजक होंगे और वह अब तक प्राप्त सभी आवेदनों को डीएलटीएफसी के समक्ष रखेंगे। जिला स्तरीय कार्यबल समिति की हर महीने में कम से कम एक बार बैठकें आयोजित की जाएंगी, यदि संभव हो तो हर महीने के पहले सोमवार, (या केवीआईसी के निदेशक, केवीआईबी और जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक द्वारा आपसी परामर्श से निर्धारित की गई तारीखों पर और यदि आवश्यक हो तो उसी महीने के भीतर जिला स्तरीय कार्यबल समिति की एक और बैठक आयोजित की जा सकती है। तय की गई बैठक की तारीखों को सभी जिलों के पीएमईजीपी वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यबल समिति की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कारेंगे या उसकी अनुपस्थिति में ईओ/पीडी, डीआरडीए या डिप्टी कलेक्टर करेंगे या उसकी अनुपस्थिति में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र करेंगे। परियोजना निदेशक-डीआरडीए जिला स्तरीय कार्यबल समिति के उपाध्यक्ष होंगे। समिति प्रत्येक आवेदन पर विचार करेगी और इसकी सिफारिश ऑनलाइन करेगी। डीएलटीएफसी

का निर्णय बैठक के 3 कार्य दिवसों के भीतर जिला कार्यान्वयन एजेंसियों) केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी) को ऑन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अर्थात केवीआईसी वैबसाइट/पीएमईजीपी पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। संबंधित एजेंसी डीएलटीएफसी के निर्णय की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर सिफारिश किए गए आवेदन संबंधित बैंकों को प्रेषित करेगी। इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर पूरा करना होगा। अधिमानतः जिला स्तरीय कार्यबल समिति द्वारा कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, आईबीए द्वारा विकसित स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) ही लाभार्थी के चयन का आधार होगी। यद्यपि, यदि आवश्यक माना जाए तो जिला स्तरीय कार्यबल समिति आवेदक को व्यक्तिगत बातचीत/साक्षात्कार के लिए बुला सकती है। यदि जिला स्तरीय कार्यबल समिति 45 दिनों के भीतर स्वीकृति नहीं देती है तो बैंक स्वयं परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए।

11.11 एक ऑन-लाइन शिकायत पोर्टल और शिकायत प्रकोष्ठ होगा, जिसकी स्थापना केवीआईसी, मुख्यालय द्वारा की जाएगी। शिकायत प्रकोष्ठ 48 घंटे के भीतर ऑन लाइन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा और संबंधित राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देगा। यदि आवेदक समिति की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध संबंधित राज्य के जीएम, डीआईसी या राज्य निदेशक, केवीआईसी के पास, जो भी वरिष्ठ हो, शिकायत दर्ज कर सकता है।

11.12 प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंक, ऋण के बारे में अपना निर्णय लेंगे। कार्य दल द्वारा पारित रु.10 लाख तक के ऋण वाली परियोजनाओं के मामले में बैंक, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसरण में संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देंगे। तथापि, वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करने के बाद परियोजनाओं का मूल्यनिरूपण तकनीकी और आर्थिक - दोनो दृष्टियों से करेंगे :

i. उद्योग,

ii. प्रतिव्यक्ति निवेश,

iii.अपना अंशदान,

iv.ग्रामीण क्षेत्र (खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/जिला उद्योग केंद्रों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में), और

v.निषिद्ध सूची (मार्गनिर्देश का परिच्छेद 29) ।

vi. यह अनिवार्य है कि जिला कार्य दल द्वारा पारित आवेदन पत्र उसी स्तर पर इन अपेक्षाओं का पालन करें, ताकि बैंकों से ऋण का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब से बचा जा सके।

11.13 बैंक निर्धारित अवधि के भीतर ऋण आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेंगे। ऑनलाइन स्वीकृति पत्र के आधार पर स्वीकृति जारी की जाएगी और स्वीकृति आदेश की प्रतियां जिला अभिकरणों से डीएलटीएफसी संस्तुत आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के साथ-साथ आवेदक को (ई-मेल/हार्ड कॉपी द्वारा) भेजी जाएगी। स्वीकृति पत्र स्वचालित रूप से संबंधित आरसेटी को अग्रेषित कर दिया जाएगा, या जहां कोई आरसेटी/रुडसेटी नहीं है वहाँ ईडीपी प्रशिक्षण के लिए अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र को भेज जाएगा, यदि आवेदक ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। बैंकों द्वारा ऋण जारी करने से पहले निर्धारित ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

11.14 आवेदकों को ऋण स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु किसी भी समय ईडीपी शुल्क के भुगतान पर केवीआईसी के राज्य कार्यालय के परामर्श से आवेदन पत्र जमा करने के बाद ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते हैं केवीआईसी द्वारा ईडीपी को स्व-वित्तपोषण के आधार पर चलाया जाएगा।

11.15 आवेदक अपनी ऋण स्वीकृति की सूचना मिलने के 10 दिनों के भीतर वित्तपोषण बैंक को अपना योगदान और ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति जमा करेगा, और ईडीपी प्रमाणपत्र को भी प्रशिक्षण संस्था द्वारा इसके साथ अपलोड किया जाएगा।

11.16 बैंक ऋण की पहली किस्त पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करेगा और नोडल बैंक / केवीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर मार्जिन मनी सब्सिडी दावा प्रस्तुत करेगा ।

11.17 दो शर्तों (i) पहली किस्त जारी होने की तारीख मार्जिन मनी सब्सिडी दावा करने की तारीख से पहले की है और (ii) जारी की गई पहली किस्त की राशि मार्जिन दावा की गई मार्जिन मनी सब्सिडी राशि से अधिक है, को पूरा करने के लिए ऑनलाइन दावा प्रपत्र की स्वचालित रूप से जाँच हो जाएगी। केवीआईसी सब्सिडी दावे को सत्यापित करेगा और 3 कार्य दिवसों के भीतर नोडल बैंक पोर्टल पर अपलोड करेगा।

11.18 नोडल बैंक सत्यापन प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संबंधित वित्तपोषण बैंक शाखा को केवीआईसी द्वारा सत्यापित मार्जिन मनी सब्सिडी दावा राशि हस्तांतरित करेगा ।

यदि वित्त प्रदाता बैंक यह प्रमाणित करता है कि दावे में उल्लिखित सभी तथ्य सही हैं तथा इकाई की उपरोक्त गतिविधि पीएमईजीपी की नकारात्मक सूची में नहीं आती है और यह पीएमईजीपी के दिशनिर्देशों के अनुरूप है, तो केवीआईसी द्वारा सत्यापन को छोड़ा जा सकता है और मार्जिन मनी दावे को सीधे कार्पोरेशन बैंक के पोर्टल पर संवितरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदाता बैंक के क्रम में भेजा जा सकता है।

11.19 एक बार ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्राप्त हो जाने के बाद इसे 24 घंटों के भीतर शाखा स्तर पर लाभार्थी/संस्था के नाम तीन साल की टीडीआर में रखा जाना चाहिए। टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और ऋण की उतनी ही राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

11.20 उपरोक्त चरणों में से प्रत्येक पर आवेदक को सिस्टम या संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वचालित रूप से एसएमएस/ई-मेल एलर्ट भेजने का प्रयास किया जाएगा।

11.21 यदि लाभार्थी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से बैंक अग्रिम तीन वर्षों की अवधि से पहले "अनुपयुक्त" हो जाता है, तो मार्जिन मनी (सब्सिडी) ब्याज सहित केवीआईसी को वापस कर दी जाएगी। यदि बाद में किसी भी स्रोत से, जो कुछ भी हो, बैक द्वारा कोई भी वसूली की जाती है तो ऐसी वसूली का उपयोग बैंक द्वारा अपनी बकाया राशि के परिसमापन के लिए किया जाएगा।

11.22 **मार्जिन राशि (सब्सिडी) सरकार से 'एक बार की सहायता' होगी। योजना के अधीन केवल ऋण के रूप में दूसरी सहायता के मामलों को छोड़ कर ऋणसीमा मे वृद्धि या परियोजना के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन राशि (सब्सिडी) सहायता उपलब्ध नहीं है ।**

11.23 संयुक्त रूप से अर्थात दो विभिन्न स्रोतों (बैंकों/वित्तीय संस्थाओं) से वित्तपोषित परियोजनाएँ, मार्जिन राशि (सब्सिडी) सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

11.24 बैंक वित्त जारी करने से पहले बैंक को लाभार्थी से इस आशय का वचनपत्र लेना होगा कि खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/राज्य के जिला उद्योग केंद्र द्वारा आपत्ति किए जाने की स्थिति में (जिसे अभिलिखित और लिखित रूप में संप्रेषित किया जाएगा), लाभार्थी टीडीआर में रखी गई या तीन वर्ष की अवधि के बाद जारी की गई मार्जिन राशि (सब्सिडी) को वापस लौटा देगा।

11.25 बैंक/खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/जिला उद्योग केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी अपने परियोजना-स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर यह साइन बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित (इकाई का नाम) ------ ---------- वित्तीय सहायता ..... (बैंक), जिले का नाम----------

11.26 पीएमईजीपी पोर्टल लाभार्थी द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। संबंधित अभिकरणों अर्थात केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के नोडल कार्यालय भी ईकाइयों की स्थापना के बाद हर 6 महीने में कम से कम एक बार इकाइयों का दौरा करें, ताकि उनकी स्थिति की जांच की जा सके और आवश्यक मार्गदर्शन/सहायता और मॉनिटरिंग की जा सके। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल को संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी यात्राओं के विवरणों को कैप्चर करने में सक्षम होना चाहिए। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी समायोजन के संवितरण के साथ-साथ तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किए गए इकाई के सत्यापन भौतिक सत्यापन के विवरण को कैप्चर करने में सक्षम होना चाहिए।

11.27 पोर्टल में एमआईएस होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण स्वीकृत और संवितरण के बीच कोई ओवरलैप न हो और श्रेणीवार, ग्रामीण, शहरी, बैंक वार, जिलेवार, राज्यवार, वर्षवार, उद्योग क्षेत्रवार, परियोजनावार आकार आदि सहित विभिन्न रिपोर्ट सृजित (जनरेट) करने में सक्षम (एनेबल) होना चाहिए।

12 मौजूदा इकाइयों के उन्नयन हेतु सब्सिडी (नया प्रावधान)

क. पीएमईजीपी /एमयूडीआरए के तहत स्थापित विद्यमान इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के नाम से एक अतिरिक्त घटक को जोड़ा गया है जिसमें पीएमईजीपी /एमयूडीआरए के तहत इकाइयां पहले से ही स्थापित हैं तथा सभी वर्गों के लिए सरकार द्वारा 15% की समान सब्सिडी के साथ बैंक के माध्यम से निर्माण कर ने वाली इकाइयों हेतु रु. 1.00 करोड़ तक का अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु टर्नओवर, लाभ

कमाने और ऋण चुकौती के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वालों का चयन किया जाएगा। सेवा/ट्रेडिंग इकाइयों हेतु मात्र रु. 25 लाख तक वित्तीय सहायता डी जाएगी।

ख. देशभर से जनसंख्या सघनता, औद्योगिक विकास, पारंपरिक कौशल/ कच्चे माल इत्यादि की उपलब्धता के आधार पर समान रूप से प्रत्येक जिले से लगभग 10 इकाइयों को चुना जाएगा। उन्नयन हेतु विद्यमान इकाइयों का चयन राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा किया जाएगा।

ग. केवीआईसी उन्नयन हेतु विद्यमान इकाइयों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सरलीकृत आवेदन फॉर्म के साथ पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर प्रासंगिक प्रावधान बनाएगा।

घ. प्रारम्भिक सूक्ष्म जांच के पश्चात जिला स्तरीय एजेंसी (केवीआईसी/केवीआईबी/ डीआईसी) एसएलबीसी को आवेदन अग्रेषित करेगा, जो परियोजना का आर्थिक और तकनीकी दोनों रूप से मूल्यांकन करेगा तथा दूसरे ऋण हेतु वित्तीय बैंक को परियोजना की सिफ़ारिश करेगा। वित्तीय बैंक पीएमईजीपी इकाइयों हेतु प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी दावा करेगा। मार्जिन मनी सब्सिडी को तीन वर्षों के लिए टीडीआर के रूप में रखा जाएगा। टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा टीडीआर की इस राशि के लिए वितरित ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

च. टीडीआर को कार्यान्वयन एजेंसी और बैंक द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर शामिल की जाने वाली मशीनों के इन्स्टाल होने के पश्चात ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।

13. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

13.1 उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएँ, एकाउंटिंग जैसी विभिन्न प्रबंधकीय और कार्यपूरक कुशलताओं की जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 5 दिनों की होगी जहां परियोजना की लागत रु.10 लाख तक है, तथा रु.10 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण 10 दिनों का होगा। विभिन्न बैठकों, चर्चाओं और उद्योग पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरपीएससीआई) की अनुशंसाओं में इस निविष्टि पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, और यह महसूस किया गया कि 3 दिनों का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, अतः दो से तीन सप्ताह का प्रशिक्षण प्रमंरोसृका के अधीन प्रदान

किया जाएगा जिसमें सफल ग्रामीण उद्यमियों और बैंकों के साथ परस्पर संवाद के साथ-साथ उनका दौरा भी शामिल है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों के प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केंद्र सरकार/राज्य सरकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों अर्थात् एनआईईएसबीयूडी, एनआईएमएसएमई और आईआईई तथा सूलमउ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले उनके सहभागी संस्थानों, बैंकों, ग्रामीण विकास एंव स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों (रूडसेटी), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समय-समय पर चुने गए संगठनों / संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। प्रमंरोसृका के सभी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। तथापि, जो लाभार्थी खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों या प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण ले चुके होंगे, उन्हें इस प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों / संस्थानों का चयन खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्डों द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षण केंद्रों / संस्थानों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु, अवधि आदि का विवरण कार्यान्वयी अभिकरणों में परिचालित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

13.2 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रभारों हेतु बजट

योजना के अंतर्गत पठन-सामग्री, अतिथि वक्ताओं को मानदेय, खाने-रहने के खर्च आदि के लिए प्रति प्रशिक्षु दो से तीन सप्ताह के लिए रु.2500 से रु.4000 तक की राशि स्वीकार्य होगी। खाग्रा आयोग इस प्रयोजन के लिए चुने गए प्रशिक्षण केंद्रों / संस्थानों को, इसके लिए अलग से तैयार की जाने वाली और खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के बीच परिचालित की जाने वाली कार्यविधि के अनुसार, व्ययों के प्रतिपूर्ति करेगा।

14. प्रमंरोसृका इकाइयों का भौतिक सत्यापन

खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा स्थापित इकाइयों सहित प्रमंरोसृका के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और कामकाज की स्थिति का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, खाग्रा आयोग द्वारा राज्य सरकार के अभिकरणों और/या आवश्यकतानुसार, इस क्षेत्र की विशेष जानकारी रखने वाले बाहरी व्यावसायिक संस्थानों को यह कार्य सौंप कर भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफ़आर) के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कराया जाएगा। बैंक, खाग्रा बोर्ड और जिला

उद्योग केंद्र 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने में खा.ग्रा॰आयोग के साथ समन्वय करेंगे और उसे सहयोग देंगे। इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए खाग्रा आयोग एक उपयुक्त प्रोफार्मा तैयार करेगा। खाग्रा आयोग निर्धारित फार्मेट में सूलमउ मंत्रालय को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

भौतिक सत्यापन प्रक्रिया को इकाई की स्थापना के दो वर्षों के उपरांत आरंभ किया जाना चाहिए। राज्य कार्यालय दो-तीन अभिकरणों को इस कार्य में संलग्न कर सकते हैं जिससे कि प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके और मार्जिन मनी समायोजन को निर्धारित तीन वर्षों की अवधि की पूर्णता पर किया जाना चाहिए।

15. जागरुकता शिविर

15.1 प्रमंरोसूका को लोकप्रिय बनाने और ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के संभावित लाभार्थियों को योजना के बारे में शिक्षित करने के लिए खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र, एक-दूसरे के साथ और खाग्रा बोर्ड के निकट समन्वय से देश भर में जागरुकता शिविरों का आयोजन करेंगे। जागरुकता शिविरों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को, विशेष श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शारीरिक विकलांग, पूर्व-सैनिक, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला आदि के सदस्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, शामिल किया जाएगा। खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा राज्य स्तरीय संगठनों, जैसे अजा / अजजा निगमों, आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसियेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और नियोजनालयों से अपेक्षित सूचना / ब्यौरे प्राप्त किए जाएँगे। प्रत्येक जिले में ऐसे दो शिविरों के आयोजन की अनुमति होगी, जिनमें से एक खाग्रा आयोग द्वारा संबंधित खाग्रा बोर्ड के समन्वय से और दूसरा जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित किया जाएगा। खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र को अधिमानतः किसी विशेष जिले में इन शिविरों को संयुक्त रूप से आयोजित करने पर विचार करना चाहिए। एक समिति, जिसमें अग्रणी बैंक, खा.ग्रा.आयोग, खा.ग्रा.बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य होंगे, लाभार्थियों का चयन करेगी और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें परियोजना तैयार करने के लिए आरआईसीएस के पास और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों के पास भी भेजा जाएगा। निर्दिष्ट राशि, शिविरों के आयोजन के प्रचार-प्रसार, व्यवस्था और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए होगी जिनके बारे में खाग्रा आयोग अलग से मार्गनिर्देश जारी करेगा।

15.2 जागरुकता शिविरों में की जाने वाली अनिवार्य गतिविधियाँ

(i) बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंगों और स्थानीय अखबारों में प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

(ii) खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण।

(iii) क्षेत्र के अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(iv) प्रमंरोसूका/ ग्रारोसूका के सफल उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(v) जिन प्रमंरोसूका उद्यमियों की परियोजनाएँ मंजूर हुई हैं, उन्हें मंजूरी पत्र का वितरण।

(vi) प्रेस सम्मेलन।

(vii) संभावित लाभार्थियों से (निर्धारित फार्मेट में) आँकड़ों का संग्रह जिनमें लाभार्थी के प्रोफाइल, उसके कौशल, उसकी पृष्ठभूमि और योग्यता, अनुभव, रुचि की परियोजना, आदि का विवरण होगा। प्रशिक्षण (जैसा कि मार्गनिर्देश के परिच्छेद 12 में उल्लेखित है) के लिए एक समिति, जिसमें अग्रणी बैंक, खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य होंगे, लाभार्थियों का चयन करेगी और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें परियोजना तैयार करने के लिए आरआईसीएस के पास और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों के पास भी भेजा जाएगा।

(viii) प्रमंरोसूका के अंतर्गत विचारार्थ खाग्रा आयोग द्वारा तैयार की गई कुछ परियोजनाओं का एक संग्रह आयोग/ मंत्रालय द्वारा कुछ प्रमुख राज्यों के उद्योग सचिवों और भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, युनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कुछ प्रमुख बैंकों को भेजा गया है। इस संग्रह में कुछ और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र परियोजनाओं के विवरण आयोग को प्रेषित करेंगे। आयोग बैक्वर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के लिए किए गए प्रावधानों का उपयोग करते हुए बैंकों, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के परामर्श से यथासमय उन्हें संग्रह में शामिल करेगा।

(ix) विपणन सहायता

(क) जहाँ तक संभव होगा, खा.ग्रा.आयोग के बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्रमंरोसूका के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के उत्पादों को विपणन सहायता दी जाएगी। खाग्रा आयोग के पास, गुणवत्ता, कीमत निर्धारण और अन्य मानदंडों के आधार पर, जिन्हें खाग्रा बोर्डों और जिला

उद्योग केंद्रों को आयोग द्वारा अलग से परिपत्रित किया जाएगा, ऐसी सहायता देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ख) इसके अलावा खा.ग्रा.आयोग द्वारा प्रमंरोसृ कार्यक्रम के लाभार्थियों के फायदे के लिए जिला/ राज्य, अंचल/ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं का आयोजन और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जाएँगे।

16. कार्यशालाएँ

क) **उद्देश्य**

(i) प्रमंरोसृका और खा.ग्रा.आयोग के अन्य कार्यक्रमों, जैसे प्रोडिप, स्फूर्ति आदि के लाभों के बारे में संभावित लाभार्थियों को जानकारी देना।

(ii) प्रमंरोसृका इकाइयों का एक डाटा बैंक तैयार करना, जिसमें तैयार किए जाने वाले उत्पादों, सेवा/ व्यवसाय कार्य के विवरण, आपूर्ति क्षमता, वर्तमान विपणन ढाँचे, रोजगार, परियोजना लागत आदि से संबंधित विवरण होंगे।

(iii) प्रमंरोसृका के उद्यमियों से संवाद स्थापित करना ताकि उनसे इकाइयों, उनकी समस्याओं, अपेक्षित सहायता, सफलता के दृष्टांतों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

(iv) प्रमंरोसृका इकाइयों के सहयोग के लिए विपणन और निर्यात क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शमिल करना।

नोट:

(i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यशाला में कम से कम 200 संभावित उद्यमी भाग लें।

(ii) खाग्रा आयोग के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला और जिला उद्योग केंद्र के लिए एक कार्यशाला की अनुमति है।

(iii) किसी राज्य-विशेष में खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन करने पर विचार कर सकते हैं।

(iv) प्रत्येक कार्यशाला में खाग्रा आयोग/और जिला उद्योग केंद्र का एक-एक प्रतिनिधि भाग लेगा ।

ख) राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल की जानी चाहिए :

i. राज्य में प्रमंरोसृका के परिदृश्य की प्रस्तुति।

ii. राज्य के अग्रणी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमंरोसृका के बारे में बैंकों के मंतव्य पर प्रस्तुति।

iii. विशेष श्रेणी के उद्यमियों पर विशेष बल देते हुए प्रमंरोसृका/ ग्रारोसृका के उद्यमियों के अनुभवों और सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान।

iv. खाग्रा आयोग की अन्य समर्थनकारी योजनाओं, जैसे उत्पाद विकास, डिजाइन सहयोग और पैकेजिंग (प्रोडिप), ग्रामीण औद्योगिक सेवा केंद्र (आरआईएससी), परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी), प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए ऋण-सहबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसएमई), आदि के बारे में संक्षेप में जानकारी देना।

v. नाबार्ड और सिडबी द्वारा क्लस्टर और विपणन से जुड़ी सहायता योजनाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी देना।

vi. प्रमंरोसृका में ग्रामीण युवाओं, कमजोर तबकों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक विकलांगों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को शामिल करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन, महिला और बाल विकास मंत्रालय, आर्मी वाइव्ज् वेलफेयर एसोसियेशन की सेवाओं का उपयोग करना।

vii. विपणन विशेषज्ञों द्वारा घरेलू और निर्यात बाजार संभावनाओं पर प्रस्तुति।

viii. प्रमंरोसृका उद्यमियों के साथ कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों, सामने आ रही कठिनाइयों, आगे अपेक्षित सहयोगों आदि पर खुली परिचर्चा और संभव समाधानों पर पहुँचना।

ix. निर्धारित फार्मेट में प्रमंरोसृका उद्यमियों से संबंधित आँकड़ों का संकलन।

x. प्रमंरोसृका उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री की व्यवस्था।

xi. प्रमंरोसृका संघ का गठन।

xii. प्रेस सम्मेलन।

(ग) खाग्रा आयोग इन कार्यशालाओं का समन्वय करेगा और कार्यशालाओं के वार्षिक कैलेण्डर को मंत्रालय से पहले ही अनुमोदित करा लेगा।

17. प्रदर्शनियाँ

प्रमंरोसृका के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खाग्रा आयोग द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरों पर प्रमंरोसृका प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, और पूर्वोत्तर अंचल के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से किया जाएगा। खाग्रा आयोग देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों का वार्षिक कैलेण्डर मंत्रालय से पहले ही अनुमोदित करा लेगा। खाग्रा बोर्डों/जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इकाइयों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अलग पैविलियन उपलब्ध कराया जाएगा। खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ग्रामीण और शहरी उद्यमियों के लिए अलग-अलग लोगो और नाम रखा जाएगा, जैसे ग्रामएक्स्पो, ग्राम उत्सव, ग्राम मेला आदि। खाग्रा आयोग प्रति वर्ष खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से एक जिला स्तरीय (प्रत्येक जिले में), एक राज्य स्तरीय और एक अंचल स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करेगा।

18. अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता

निर्यात बाजार विकसित करने की दृष्टि से ऐसी परिकल्पना है कि प्रमंरोसृका इकाइयाँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता करेंगी। खा.ग्रा.बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से खा.ग्रा.आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन करेगा और खा.ग्रा.बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों से इच्छुक इकाइयों की सूची मँगवाएगा। खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि खा.ग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इच्छुक इकाइयों पर उत्पादों के उत्कृष्टता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर न्यायपूर्ण विचार किया जाए। पैविलियन के किराये, स्टाल लगाने और उत्पादों को प्रदर्शित करने आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रु.20 लाख तक की जाएगी। खा.ग्रा.आयोग शेष व्यय अपने नियमित विपणन बजट प्रावधानों से कर सकता है।

19. बैंकर्स समीक्षा बैठकें

प्रमंरोसृका एक बैंक-संचालित योजना है और संबंधित बैंक के स्तर पर ही परियोजनाओं की मंजूरी और ऋण का संवितरण किया जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्र नियमित रूप से जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर, उच्चतर बैंक अधिकारियों से चर्चा करते रहें ताकि यह यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कार्यान्वयन में कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जाए, प्रभावी परिणाम प्राप्त किए

जाएँ, लक्ष्य प्राप्त किए जाएँ। बैंकर समीक्षा बैठकें निम्नलिखित स्तरों पर निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी :

(i) **अग्रणी जिला प्रबंधक बैठक (एलडीएम):** इस बैठक का आयोजन खाग्रा आयोग के राज्य कार्यालय और प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अग्रणी जिला प्रबंधक स्तर पर बैंक अधिकारियों को प्रमंरोसृ कार्यक्रम के बारे जानकारी देना और शिक्षित करना और साथ ही योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करना होगा। यह बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।

(ii) **आंचलिक समीक्षा बैठक**: प्रमंरोसृका की समीक्षा और निगरानी के लिए खाग्रा आयोग 6 अंचलों में आंचलिक समीक्षा बैठक करेगा जिनमें खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि समीक्षा में भाग लेंगे। संबंधित बैंक अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएँगे।

(iii) **शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठकः** खाग्रा आयोग प्रत्येक छमाही में (जून और दिसंबर में) शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक आयोजित करेगा ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ में और अंत होने के थोड़ा पहले समुचित निगरानी की जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/वरिष्ठ कार्यपालक, सूलमउ मंत्रालय, राज्य खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि राष्ट्र स्तरीय बैंकर बैठक में भाग लेंगे जिसकी अध्यक्षता खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। दो समूहों में सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र आमंत्रित किए जाएँगे और खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इन छमाही समीक्षा बैठकों में से प्रत्येक में लगभग आधे राज्यों/संशासित क्षेत्रों के खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि सहभागी हों। बैठक में लक्ष्यों की समीक्षा और प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से जुड़े मुद्दों की जाँच की जाएगी।

20. प्रमंरोसृका के अंतर्गत उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण

खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और संबंधित अभिकरणों के स्टाफ और अधिकारियों को कार्यक्रम के परिचालनात्मक तौर-तरीकों की जानकारी देनी होगी, जिसे खाग्रा बोर्डों के साथ मिलकर खाग्रा आयोग द्वारा, और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा देश भर में राज्य/जिला स्तर पर एक-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन कर किया जा सकता है। खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र, जहाँ भी संभव हो, संयुक्त रूप से ये कार्यशालाएँ

आयोजित कर सकते हैं, जिसके बारे में खाग्रा आयोग द्वारा अलग से मार्गनिर्देश जारी किए जाएँगे।

21. स्टाफ और अधिकारियों का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, और जिला उद्योग केंद्र प्रमंरोसृका से संबंधित कार्यें के लिए अपेक्षित दौरे और निगरानी कार्य करेंगे। प्रमंरोसृका की निगरानी और समीक्षा हेतु स्टाफ और अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए प्रतिवर्ष रु.1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें लेखन सामग्री, प्रलेखीकरण, आकस्मिक व्यय जैसे प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। इस राशि का लगभग 40% भाग जिला उद्योग केंद्रों के लिए चिह्नित किया जा सकता है इस सहायता के इष्टतम उपयोग और किफायतसारी के लिए खाग्रा आयोग अलग से मार्गनिर्देश जारी करेगा, जिसमें व्यय के प्रमाणन के तौर-तरीकों, और फील्ड दौरों से संबंधित मानदंडों का समावेश होगा।

22. प्रचार और संवर्धन गतिविधियां

22.1 प्रमंरोसृका को लोकप्रिय बनाने के लिए पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंगों, रेडियो जिंगल, टेलीविज़न, संदेशों, स्थानीय अखबारों में विज्ञापनों, प्रेस सम्मेलनों आदि के जरिए जोर-शोर से प्रचार-अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रमंरोसृका से संबंधित प्रमुख आयोजनों के अवसर पर अति महत्वपूर्ण और गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

22.2 प्रमंरोसृका के लिए विज्ञापन जारी करना/प्रचार करना

प्रमंरोसृका के लिए विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा के अखबारों में जारी/प्रकाशित किए जाएँगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए चौथाई पृष्ठ के और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए आधे पृष्ठ के विज्ञापन जारी किए जाएँगे।

प्रमंरोसृका के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार और संवर्धनात्मक गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए चार वर्ष की अवधि में रु.16 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। खाग्रा आयोग द्वारा निधियों की 25% राशि जिला उद्योग केंद्रों के लिए चिह्नित की जाएगी जो खाग्रा आयोग द्वारा, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के साथ अधिकतम समन्वय और सहक्रियता सुनिश्चित करते हुए तैयार किए गए मार्गनिर्देश के अनुरूप विज्ञापन/प्रचार-प्रसार के लिए होगी।

23. प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) पैकेज, आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली, ई-पोर्टल और अन्य सहायक पैकेज

23.1 योजना की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विद्यमान ग्रारोसृका और प्रमंरोयो लाभार्थियों के डाटा बैंक का प्रलेखीकरण भी आवश्यक है। खाग्रा आयोग एक अलग प्रमंरोसृका वेबसाइट तैयार करेगा जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी देते हुए सूलमउ मंत्रालय, राज्य खाग्रा बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों, एनआईसी और बैंकों के साथ संगत लिंकेज शामिल किए जाएँगे। प्रमंरोसृका लाभार्थियों के लिए खाग्रा आयोग द्वारा आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना, खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिक परामर्श सेवा के खाग्रा आयोग की परियोजना निर्माण सॉफ्टवेयर पैकेज को देश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे संभावित लाभार्थियों को प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाएँ तैयार करने में सहयोग दे सकें। इस प्रयोजन से खाग्रा आयोग के उपयोग के लिए फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत अलग से प्रावधान उपलब्ध है।

23.2 खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों से समुचित प्रलेखीकरण के माध्यम से खाग्रा आयोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में आगे मार्गनिर्देश जारी करेगा। इस संबंध में खर्च का उचित लेखा-जोखा खाग्रा बोर्डों/जिला उद्योग केंद्रों द्वारा रखा जाएगा तथा खाग्रा आयोग द्वारा उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ।

24.1 प्रमंरोसृका के अंतर्गत प्रस्तावित अनुमानित लक्ष्य

(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु 20 लाख रोजगार (8 व्यक्ति प्रति परियोजना (केसृजन के साथ 2.5 लाख परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तीन वित्तीय वर्षों-2017) (20-2019 से 18के लिए रु.5500.00 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 1000 इकाइयों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन्नत किया जाएगा।

(2) वर्तमान में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग,खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के राज्य कार्यालय 30:30:40 के अनुपात में इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। तथापि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होने से आवेदन प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं रह गई है अतः 30:30: 40अनुपात की कोई प्रासंगिकता नहीं है। आवेदनों की प्रोसेसिंग में “पहले आओ पहले पाओ” की अवधारणा का पालन किया जाएगा और30 :30:40 के अनुपात को समाप्त किया जाएगा।

(3) कार्यान्वयी अभिकरणों को राज्यवार वार्षिक लक्ष्य आबंटित किए जाएँगे।

24.2 प्रमंरोसृका के अंतर्गत लक्ष्यों के वितरण के मानदंड

लक्ष्यों के राज्यवार वितरण के सुझाए गए विस्तृत मानदंड निम्नानुसार हैं :

(i) राज्य के पिछड़ेपन का स्तर;

(ii) बेरोजगारी का स्तर;

(Iii) 2007-08 में प्रमंरोयो और ग्रारोसृका के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने का स्तर;

(IV) 2007-08 में प्रमंरोयो और ग्रारोसृका के अंतर्गत ऋणों की वसूली का स्तर;

(v) राज्य/संघशासित क्षेत्र की जनसंख्या; और

(vi) परंपरागत कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता।

24.3 खाग्रा आयोग राज्य खाग्रा आयोग निदेशालयों/खाग्रा बोर्डों और राज्य सरकारों को लक्ष्य सौंपेगा। जिला स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति लक्ष्य तय करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में लक्ष्यों का समान वितरण हो। खाग्रा आयोग द्वारा खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों को दिए गए राज्यवार लक्ष्यों से राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति को अवगत कराया जाएगा जहाँ जिलावार लक्ष्यों के समग्र आवंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लक्ष्यों में कोई संशोधन, जिसके लिए खाग्रा आयोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा, मंत्रालय की सहमति से ही किया जा सकेगा। खाग्रा आयोग राज्य सरकार के परामर्श से नोडल बैंक-शाखाओं का चयन करेगा और ग्रामीण तथा शहरी- दोनो क्षेत्रों के लिए उन चुनी हुई शाखाओं में मार्जिन राशि (सब्सिडी) रखेगा। खाग्रा आयोग निदेशालयों/खाग्रा बोर्डों को सब्सिडी और अन्य मानदंडों (इकाइयों की संख्या, रोजगार के अवसर आदि) के अधीन लक्ष्य सौंपने के लिए खाग्रा आयोग, नीचे दिए गए भारांकों के अनुसार लक्ष्य निर्धारण हेतु राज्य की ग्रामीण आबादी, राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 250 पिछड़े जिलों के आधार पर) और ग्रारोसृका के अंतर्गत राज्य के पूर्व कार्यनिष्पादन को मानदंड बनाएगा। इसी प्रकार जिला उद्योग केंद्रों को लक्ष्य सौंपने के लिए खाग्रा आयोग राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 115 पिछड़े जिलों के आधार पर), शहरी बेरोजगारी के स्तर ('प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार-अवसर को लक्ष्य बनाने पर

विशेष समूह' से संबंधित योजना आयोग की 2002 के प्रतिवेदन में यथानिर्दिष्ट), और राज्य की ग्रामीण आबादी के मानदंड अपनाएगा। पिछले वर्ष के प्रमंरोसूका कार्यनिष्पादन को भी लक्ष्य निर्धारण हेतु समुचित महत्व दिया जाएगा। कार्यान्वयी अभिकरणों के लिए लक्ष्य निर्धारण हेतु मोटे तौर पर जो भारांक दिए जाएँगे, वे निम्नानुसार हैं –

मानदंड	लक्ष्य निर्धारण हेतु भारांक	
	खा.ग्रा.आयोग/बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र
1. राज्य की ग्रामीण आबादी	40 %	30%
2. राज्य का पिछड़ापन	30%	40%
3. शहरी बेरोजगारी का स्तर	-	30%
4.आरईजीपी का पूर्व कार्य-निष्पादन	30%	-

25. बीमार इकाइयों का पुरुद्धार

प्रमंरोसूका के अंतर्गत बीमार इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, बीमार लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी दिनांक 16 जनवरी 2002 के उनके पत्र आरपीसीडी सं. पीएलएनएफएस. बीसी. 57/ 06.04.01 / 2001-02 को आधार बनाया जाएगा।

26. पंजीकरण

(क) योजना के अंतर्गत खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/राज्य जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकरण स्वैच्छिक है। लाभार्थियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा और बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग प्रलेखीकरण लागत आदि के व्यय को पूरा करने में किया जाएगा।

लाभार्थी उत्पादन, बिक्री, रोजगार, भुगतान की मजदूरी आदि के बारे में खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य जिला उद्योग केंद्र को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और खाग्रा आयोग उनका विश्लेषण करेगा और प्रत्येक छमाही में एक समेकित प्रतिवेदन सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

(ख) इकाइयों की जियो टैगिंग: पूर्व में स्थापित सभी सूक्ष्म उद्यमों तथा पीएमईजीपी के अधीन स्थापित किए जाने वाली इकाइयों की जियो टैगिंग की जाएगी, जो इकाइयों के साथ संपर्क को सुविधा प्रदान करेगी।

27. प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र के बैंकों (अनुसूचित, वाणिज्यिक / सहकारी) की भूमिका

योजना चयनित आधार निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/ सहकारी बैंकों के माध्यम से भी, इच्छुक बैंक के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्रों के सत्यापन और उनके ऋण संविभाग की प्रमात्रा की पुष्टि के बाद, कार्यान्वित की जाएगी। मार्जिन राशि (सब्सिडी) वाला हिस्सा खाग्रा आयोग द्वारा वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर बैंकों को अदा की जाएगी।

28. प्रमंरोसृका की निगरानी और मूल्यांकन

28.1 सूलमउ मंत्रालय की भूमिका

योजना के कार्यान्वयन के लिए सूलमउ मंत्रालय नियंत्रक और निगरानी अभिकरण होगा। वह लक्ष्य आबंटित करेगा, और खाग्रा आयोग को अपेक्षित निधि की मंजूरी देगा और उसे जारी करेगा। मंत्रालय में प्रमंरोसृका के कार्यनिष्पादन के बारे में तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएँगी। खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रधान सचिव/ आयुक्त (उद्योग), राज्य खाग्रा बोर्डों के प्रतिनिधि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेंगे ।

28.2 खाग्रा आयोग की भूमिका

खाग्रा आयोग राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण होगा. खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रति माह राज्य खाग्रा बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के साथ कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेंगे और मंत्रालय को मासिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में लाभार्थियों का घटक-वार विवरण दिया जाएगा जिसमें मार्जिन सब्सिडी, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा होगा। खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आदि के लिए अनुमोदित उप-घटक योजना के अनुसार मार्जिन राशि (सब्सिडी) का उपयोग किया जाए। लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी अंचल, राज्य और जिला स्तरों पर भी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा आयोग के निदेशकों और संबंधित राज्यों के आयुक्त/ सचिव (डीआईसी) द्वारा की जाएगी, विद्यमान ग्रारोसृका इकाइयों की

निगरानी खाग्रा आयोग द्वारा ही की जाएगी, जैसा कि अब तक होता रहा है, और अलग मासिक प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

28.2 (ii) कयर बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कयर इकाइयों की मॉनिटरिंग करेगा जिनकी स्थापना पीएमईजीपी के अंतर्गत की गई है। बोर्ड नियमित तौर पर ऐसे इकाइयों की समीक्षा करेगा और मासिक रिपोर्ट केवीआईसी को प्रेषित करेगा।

28.3 राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों की भूमिका

राज्य के मुख्य सचिव योजना की छमाही समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में खाग्रा आयोग के प्रतिनिधि, सूलमउ मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य निदेशालय (खाग्रा आयोग), खाग्रा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य के सचिव / आयुक्त (उद्योग), बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। राज्य सरकारें {सचिव/ आयुक्त (उद्योग)} अपने मासिक प्रतिवेदन खाग्रा आयोग को प्रेषित करेंगी, जिसमें लाभार्थियों का घटक-वार विवरण होगा। इस विवरण में आबंटित मार्जिन राशि (सब्सिडी), सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का विवरण होगा। खाग्रा आयोग प्रतिवेदन का विश्लेषण, संकलन और समेकन करेगा और एक समग्र रिपोर्ट प्रतिमाह मंत्रालय को प्रेषित करेगा। प्रमंरोयो की विद्यमान इकाइयों की निगरानी राज्य जिला उद्योग केंद्रों द्वारा अब तक की ही तरह किया जाता रहेगा, जिसके संबंध में प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को भेजा जाएगा।

29. योजना का मूल्यांकन

(क) योजना का एक व्यापक, स्वतंत्र और गहन मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के दो वर्षों के उपरांत किया जाएगा। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजना की समीक्षा की जाएगी।

(ख) **समवर्ती मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन:** प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पीएमईजीपी का एक समवर्ती मॉनिटरिंग और मूल्यांकन (सीएमई) किया जाएगा जिससे की फीडबैक प्राप्त कर उनमें सुधार किया जा सके। यह एक दो-तरफा प्रक्रिया होगी, नोडल अधिकारियों तथा कार्यान्वई अभिकरणों अर्थात केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी इकाइयों का प्रत्येक तिमाही में दौरा करेंगे, और आवश्यक प्रारंभी सहायता प्रदान करेंगे, साथ ही फीडबैक भी प्राप्त करेंगे, दूसरा किसी तीसरे पक्ष द्वारा इकाइयों का लगातार मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जारी रहेगा जो फीडबैक के साथ साथ समय समय पर सुधारात्मक कार्य करने में भी इकाइयों को सक्षम बनाएँगे।

30. गतिविधियों की नकारात्मक सूची

सूक्ष्म उद्यमों/ परियोजनाओं/ इकाइयों की स्थापना के लिए प्रमंरोसृका के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) मीट (वध करके तैयार किया हुआ) से जुड़े उद्योग/ रोजगार अर्थात् मीट का प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी या माँसाहारी खाद्य पदार्थ परोसना । बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री; कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब या माँसाहारी भोजन परोसा जाता हो; कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग; ताड़ी निकालना और बेचना।

(ख) चाय, कॉफी, रबर आदि जैसी फसलों/बागानों की खेती से जुड़े कोई उद्योग/ व्यापार; रेशमपालन (ककूनपालन); बागवानी; फूलों की खेती। पीएमईजीपी के अधीन उक्त के मूल्यवर्धन की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) मत्स्यपालन, शूकरपालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यापार।

(घ) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथिन की थैलियों का विनिर्माण और खाद्य पदार्थों को ले जाने, वितरण करने भंडारण हेतु पुनःचक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

———